न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 23/2025 (GCMS : 2025/28)

1. **बलवन्त सिंह** पुत्र श्री कर्म सिंह उम्र 85 वर्ष जाति जटसिख निवासी मलकाना खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **करणी सिंह** पुत्र श्री बलवन्त सिंह उम्र 58 वर्ष जाति जटसिख निवासी मलकानां खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्योराम, **उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर**
2. **सतिन्द्र कौर बराड़** पत्नी स्व. सतनाम सिंह बराड़ जाति जटसिख, निवासी मलकानां खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **हाल निवासी** 1452772 अवेन्यु, सुर्रे, बी.सी., वी. 2 एस 2 ई 6 कनाड़ा **जरिये मुखत्यारेआम** राजेन्द्र सिंह ढिल्लों पुत्र गुरदेव सिंह ढिल्लों जाति जटसिख निवासी वीपीओ शतीरवाला तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब
3. **यादविन्द्र सिंह बराड़** पुत्र स्व. सतनाम सिंह बराड़ जाति जटसिख, निवासी मलकानां खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **हाल निवासी** 1452772 अवेन्यु, सुर्रे, बी.सी., वी. 2 एस 2 ई 6 कनाड़ा **जरिये मुखत्यारेआम** राजेन्द्र सिंह ढिल्लों पुत्र गुरदेव सिंह ढिल्लों जाति जटसिख निवासी वीपीओ शतीरवाला तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब
4. **कमलदीप कौर** पुत्री स्व. सतनाम सिंह बराड़ जाति जटसिख, निवासी मलकानां खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **हाल निवासी** 1452772 अवेन्यु, सुर्रे, बी.सी., वी. 2 एस 2 ई 6 कनाड़ा **जरिये मुखत्यारेआम** राजेन्द्र सिंह ढिल्लों पुत्र गुरदेव सिंह ढिल्लों जाति जटसिख निवासी वीपीओ शतीरवाला तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.02.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री सुभाष मिढ़ा उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र अनवानी सतिन्द्र कौर वगै. बनाम बलवन्त सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए एवं धारा 212 आरटीए एक्ट का पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 24.01.2025 निश्चित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि चक 2 एस तहसील श्रीकरणपुर की 4 साला जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 35/33 मुरब्बा नं. 7 के 2.213 है. नहरी व मुरब्बा नं. 21 कें 1.745 है. नहरी व मुरब्बा नं. [illegible] 0.6[illegible] है नहरी व मुरब्बा नं. 32 के 4.932 है. नहरी व मुरब्बा नं. 46/12 के [illegible] खाता का कुल क्षेत्रफल 9.675 है. नहरी भूमि मय खाता में वादियों संख्या 1 के ससुर व वादीगण संख्या 2 व 3 का दादा बलवन्त सिंह के नाम दर्ज 7.271 है. भूमि का दान–पत्र दिनांक 18.09.2019 उक्त दान पत्र विधि विरूद्ध, शून्य व अवैध बिलाधिकार व नुमाईशी है तथा विधि की नजर में शून्य होने के कारण वादीगण के अधिकारों पर बेअसर घोषित करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:43 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

हुए खारिज फरमाया जाकर उक्त 7.271 है. भूमि में वारिदगण को 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने पेश किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण काफी प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले है, जिनका स्थानीय क्षेत्र में काफी राजनैतिक दबाव व प्रभाव है, इसी राजनैतिक दबाव व प्रभाव से ही अप्रार्थीगण उक्त वाद को अपने पक्ष मे निर्णित करवाने हेतु पीठासीन अधिकारी/अप्रार्थी संख्या 1 पर दबाव बना रहे है और अप्रार्थी संख्या 01 भी इनके राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर अनावश्यक रूप से प्रकरण में रूचि ले रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से इंसाफ की उम्मीन नहीं है और प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित उक्त अनवानी पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल हेतु प्रार्थना की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण ऐलानियां कह रहे है कि हमारी साहब से बातचीत हो गयी है इस दावे का निर्णय हमारे हम में ही करेंगे। इसलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई आशा नही होने के कारण न्यायहित में उनके प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष मिढा ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 75/2019 अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए व धारा 212 राजस्थान अधीनस्थ अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिये गये है

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के विधिसम्मत आदेश दिये गये है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने पूर्व में भी श्रीमान् न्यायालय में मुंतकिली प्रार्थना पत्र संख्या 105/2024 पेश किया था, जिसमें श्रीमान्जी द्वारा दिनांक 28.04.2025 को निर्णय पारित कर, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में देरी करना चाहते है और निर्णय पारित करने में बाधा उत्पन्न कर अप्रार्थीगण को परेशान कर रहे है। जबकि अप्रार्थीगण वर्तमान में भारत से अन्यत्र निवास कर रहे है और उनका पीठासीन अधिकारी पर किसी का कोई राजनैतिक दबाव भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई कर ही निर्णय पारित किया जा रहा है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकि[illegible] योग्य है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक [illegible] का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस [illegible] प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 9[illegible] आरटीए प्रकरण संख्या 75/2019 एवं धारा 212 आरटीए अनवानी सतिन्द्र कौर बराड़ वगै. बनाम बलवन्त सिंह आदि को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:43 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायलाय को धारा 88, 188, 91, 92ए एवं धारा 212 आरटीए के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर अनावश्यक रूप से प्रकरण में रूचि ले रहे है, इसलिए उनका प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाये। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। राजनैतिक दबाव देने सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case** : Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्धान्त को [illegible] न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए"** [illegible] हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। [illegible] की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद त[illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:43 IST
Reason: SelfAttested